कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण (राज0)

पता :– सीoएoडीo सर्किल, दशहरा ग्राउण्ड, कोटा।
ई–मेल :– nnksouth@gmail.com website www.Kotamc.org

क्रमांक :– ननिकोद/गौशाला/2024/12851–861 दिनांक :– 19/11/24

ई–बिड सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, कोटा दक्षिण की गौशाला बंधा धर्मपुरा एव कायन हाउस किशोरपुरा में हरा चारा आपूर्ति कार्य हेतु अनुमानित व्यय राशि रूपये 75 लाख की ई–बिड आमन्त्रित की जाती है। निविदा में भाग लेने हेतु अमानत राशि जरिये डीडी/पे–ऑर्डर द्वारा प्राप्त की जावेगी। ई–बिड सूचना निगम वेबसाइट https//lsg.urben.rajasthan.gov.in/content/raj/udh/nagar-nigam kota-south/en/home.html /www.sppp.rajasthan.gov.in/eproc.rajasthan.gov.in पर देखी तथा बिड प्रपत्र भी डाउनलोड किये जा सकते है और eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन ई–बिड अपलोड की जा सकती है एवं कमरा नम्बर 416 में बिड शुल्क/अमानत राशि/एम.डी.,आर.आई.एस.एल शुल्क जमा किये जा सकते है। नियत समय तक प्राप्त ई–बिड की तकनीकी बिड को दिनाक 04.12.24 को शाम 4:00 बजे ऑनलाईन खोला जावेगा।

1.	कार्य का नाम	बंधा धर्मपुरा गौशाला एवं किशोरपुरा कायन हाउस में हरा चारा आपूर्ति कार्य।
2.	अनुमानित व्यय	राशि रूपये 75 लाख मात्र
3.	बिड शुल्क (उक्त शुल्क का डीडी आयुक्त नगर निगम, कोटा दक्षिण के नाम बनेगा)	राशि रूपये 3500/– मात्र
4.	अमानत राशि (उक्त शुल्क का डीडी आयुक्त नगर निगम, कोटा दक्षिण के नाम बनेगा)	राशि रूपये 1.5 लाख मात्र
5.	प्रोसेसिंग फीस (उक्त शुल्क का डीडी MD. RISL, Jaipur के नाम बनेगा)	1500/–
6	बिड अपलोड करने की तिथि (वेबसाईट पर)	22.11.2024
7	बोली पूर्व बैठक	—x—x—
7	बिड डाउनलोड/अपलोड करने की अंतिम तिथि (वेबसाईट से)	02.12.2024
8	अमानत राशि/बिड शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क प्राप्त करने की अंतिम तिथि	03.12.2024
9.	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	04.12.2024
10	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड परीक्षण उपरान्त।
11.	कार्य अवधि	कार्यादेश तिथि से 1 वर्ष के लिये

नोट :– बिड से संबंधित आवश्यक शर्ते कार्यालय समय में राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान स्थित नगर निगम, कोटा दक्षिण कार्यालय के कमरा नम्बर 416 में गौशाला अनुभाग में देखी जा सकती है।

उपायुक्त गौशाला
नगर निगम, कोटा दक्षिण

क्रमांक :– ननिकोद/गौशाला/2022/12851–861 दिनांक 13/11/24

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् महापौर महोदय, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
2. श्रीमान् उपमहापौर महोदय नगर निगम, कोटा दक्षिण।
3. श्रीमान् आयुक्त महोदय नगर निगम, कोटा दक्षिण।
4. श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय नगर निगम, कोटा दक्षिण।
5. उपायुक्त प्रथम/द्वितीय नगर निगम, कोटा दक्षिण।
6. मुख्य लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
7. प्रभारी गौशाला एवं ईचार्ज बंधा गौशाला, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
8. पुस्तकालयाध्यक्ष, नगर निगम, कोटा दक्षिण को वास्ते नियमानुसार क्षैत्रीय व राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
9. प्रोग्रामर नगर निगम, कोटा दक्षिण वास्ते वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. नौटिस बोर्ड राजीव गांधी भवन, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
11. गार्ड फाईल।

उपायुक्त गौशाला
नगर निगम, कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण (राज0)

पता :– सी0ए0डी0 सकिल, दशहरा ग्राउण्ड, कोटा
ई–मेल :– nnksouth@gmail.com website : www.Kotamc.org

क्रमांक :– ननिकोद / गौशाला / 2024 / 12851 दिनांक :– 19/11/24

–:: **तकनीकी बिड प्रपत्र** ::–

1. कार्य का नाम : गौशाला बंधा धर्मपुरा एवं कायन हाउस किशोरपुरा में हरा चारा आपूर्ति कार्य।

2. बिड क्रमांक एवं दिनांक : ....

3. अनुमानित व्यय : राशि रूपये 75 लाख मात्र

4. अमानत राशि : 1.5 लाख मात्र डीडी नं0 ....

5. बिड शुल्क : 3500 /– डीडी नं0 ....

6. प्रोसेसिंग शुल्क : 1500 /– डीडी नं0 ....

7. बिड अपलोड करने की तिथि : 22.11.2024

8. बिड डाउनलोड /अपलोड करने की अन्तिम तिथि : 02.12.2024 तक (वेबसाईट से) :

9. अमानत राशि / बिड शुल्क / प्रोसेसिंग शुल्क प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 03.12.2024

10. तकनीकी बिड खोलने की तिथि 04.12.2024

11. वित्तीय बिड खोलने की तिथि ....

12. कार्य अवधि : ....

13. फर्म / पार्टी का नाम व पता : ....

टेलीफोन / मोबाईल नम्बर : ....

....

Latest colour Photo with signature across

शर्तें –

1. हरा चारा निगम की गौशाला बंधा धर्मपुरा एवं कायन हाउस किशोरपुरा में अन्दर तक निर्देशानुसार पहुँचाना होगा, जिसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अलग से देय नहीं होगा एवं माल के परिवहन एवं आपूर्ति के दौरान होने वाली जानमाल की समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। सामग्री की मात्रा आयुक्त महोदय द्वारा आवश्यकतानुसार घटाई व बढाई जा सकती है।
2. अमानत राशि, बिड शुल्क व प्रोसेसिंग शुल्क का डीडी/पे–आर्डर/रसीद आयुक्त नगर निगम, कोटा दक्षिण के नाम कार्यालय के कमरा नम्बर 416 में गौशाला अनुभाग में जमा कराने होगें।
3. हरा चारा पशुओं के खाने योग्य होना चाहिए सडा, गला एवं बदबूदार होने पर सामग्री की आपूर्ति नहीं ली जावेगी एवं प्रतिदिन पशु चिकित्सक से गुणवत्ता प्रमाणित होने पर भुगतान की कार्यवाही होगी।
4. हरा चारा आवश्यकतानुसार सप्लाई करने से पहले प्रभारी या उनकी अनुपस्थिति में अधिकृत कनिष्ठ लिपिक/कर्मचारी/पशु चिकित्सक के सामने तौल निगम के धर्मकाटें पर ले जाकर भरे ट्रक/ट्रोली एवं खाली ट्रक/ट्रोली का वजन कराना होगा।
5. यदि संवेदक द्वारा हरा चारा समय पर मांग अनुसार सप्लाई नहीं किया तथा आपातकाल में निगम को बाजार से क्रय करना पडा तो जी.एफ.एण्ड.ए.आर. भाग द्वितीय के नियम 68 के अनुसार संवेदक से क्रय राशि मय पेनल्टी बाजार से क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत वसूल की जावेगी।
6. हरा चारा गौशाला बंधा धर्मपुरा/कायन हाऊस किशोरपुरा में प्रभारी या उनकी अनुपस्थिति में अधिकृत कनिष्ठ लिपिक/कर्मचारी/पशु चिकित्सक की उपस्थिति में स्वयं के खर्चे से डलवाना होगा। हरा चारा की तोल पर्ची गौशाला प्रभारी द्वारा प्रमाणित करने एवं बिल का प्रमाणीकरण इंचार्ज बंधा गौशाला, प्रभारी गौशाला एवं उपायुक्त गौशाला द्वारा किये जाने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।
7. श्रीमान् महापौर महोदय, आयुक्त महोदय, उपायुक्त गौशाला/प्रभारी गौशाला द्वारा जारी आपूर्ति आदेश के अनुसार वांछित मात्रा में आवश्यकतानुसार माल की आपूर्ति अविलम्ब करनी होगी एवं आपूर्ति की सूचना सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को देनी होगी।
8. सफलतम बिड दाता को 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी जिसमें बिड फॉर्म के साथ 2 प्रतिशत राशि का बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट के रूप में जमा करवायी गयी अमानत राशि को समायोजित किया जा सकेगा तथा 3 प्रतिशत प्रतिभूति राशि निगम के पक्ष में FDR/डीडी के रूप में अनुबध करते समय जमा करवायी जा सकती है।
9. न्यूनतम बिडदाता को बिड राशि के हिसाब से नियमानुसार स्टाम्प पर स्वयं के खर्चे पर बिड स्वीकृति तिथि से 3 योम की अवधि में अनुबंध करना होगा।
10. ई–बिड प्रपत्र के साथ बिडदाता को स्वयं का निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो चस्पा करना होगा जो स्वयं बिडदाता के द्वारा प्रमाणित होगा एवं पते के प्रमाण स्वरूप नल/बिजली/टेलीफोन/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/राशन कार्ड /आधार कार्ड (कोई भी दो दस्तावेज) की बिडदाता द्वारा स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक है।
11. बिडदाता के हस्ताक्षर की पहचान के रूप में पेन कार्ड/ड्राईविग लाईसेंस की स्वय सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
12. तकनीकी बिड हेतु निम्न दस्तावेज (बिडदाता के द्वारा सत्यापित)साफ–साफ पठनीय स्केन कर पीडीएफ फोरमेट मे अपलोड होने चाहिए –

1.	बिड शुल्क एवं प्रासेसिंग शुल्क भुगतान के डी.डी. / बैंकर्स चैक की फोटो कॉपी।
2.	अमानत राशि के भुगतान के डी.डी. / बैंकर्स चैक की फोटो कॉपी।
3.	स्थाई पता का प्रमाणीकरण हेतु नल / बिजली / टेलीफोन / मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड / ड्राईविंग लाईसैंस / राशन काड / आधार कार्ड (कोई भी दो दस्तावेज) की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
4.	बिड प्रपत्र प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित।
5.	पेन कार्ड की फोटो प्रति।
6.	जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7.	विगत 8 वर्षो में से किन्हीं तीन वर्षो के आयकर रिटर्न की प्रतियां।
8.	बिडदाता को नगर निगम कोटा दक्षिण के किसी कर्मचारी / अधिकारी के परिवार का सदस्य या लाभार्थी हिस्सेदारी नहीं होने का राशि रूपये 100/– के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9.	बिडदाता को वर्तमान में फर्म ब्लेक लिस्ट / डी–बार नहीं होने का रूपये 100/– के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि बिडदाता वर्तमान में कार्य कर रहा है तो वर्तमान तक का सम्बन्धित संस्था से संतोषप्रद कार्य करने का प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना होगा, अन्यथा संवेदक को तकनीकी रूप से असफल माना जावेगा। नये बिडदाता को केवल रूपये 100/– के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13. **किसी भी विवादास्पद मुद्दे के सम्बन्ध में महापौर / आयुक्त महोदय , नगर निगम, कोटा दक्षिण का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।**
14. **तौल पर्ची में गडबडी पाए जाने पर 50,000/– प्रति वाहन शास्ती लगाकर कटौती की जावेगी।**
15. **बिड / अनुबंध / कार्यादेश को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार आयुक्त, नगर निगम, कोटा दक्षिण में निहित होगा।**
16. अन्य शर्ते जी.एफ.एण्ड.ए.आर. भाग द्वितीय के नियम 68 एवं आरटीपीपी नियम 2013 में वर्णितानुसार लागू होगी।
17. कोई भी न्यायिक विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में न्याय क्षेत्र कोटा होगा।
18. सशर्त बिड मान्य नहीं होगी। बिड की शर्तो / निर्देशों का उल्लघंन करने पर नियमानुसार अमानत / प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी एवं संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
19. बिड खोलने की तिथि किसी कारणवश अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर नियत समय पर बिड खोली जाऐगी।
20. संवेदक को अपना मोबाईल नम्बर निगम को उपलब्ध कराना तथा कार्यालय समय में चालू रखना होगा।
21. कार्यादेश दिनाक से एक वर्ष के पश्चात् आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के अनुसार समयावधि बढाई जा सकती है।
22. हरे चारे का तौल नगर निगम कांटे के साथ–साथ शहर में उपलब्ध सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त धर्मकांटे से भी तौल करवाना होगा और इन दोनों तौल में से जो भी तौल कम होगा उसी का भुगतान देय होगा।

23. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 राजस्थान नगर पालिका (सामग्री का क्रय एवं संविदा) नियम 1974, राजस्थान सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के आज दिनांक तक संशोधित प्रावधान लागू होगे।

24. प्रतिदिन न्यूनतम 100 से 150 क्विंटल हरा चारा की आपूर्ति करना होगा जिसकी मात्रा आयुक्त महोदय द्वारा आवश्यकतानुसार कम ज्यादा की जा सकती है।

25. हरे चारे की प्रतिदिन आपूर्ति सफल निविदादाता को सुनिश्चित करनी होगी। यदि किन्ही परिस्थितियों में हरा–चारा उपलब्ध नही होता है तो महापौर/आयुक्त महोदय की पूर्व स्वीकृति उपरान्त हरे चारे के स्थान पर हरी सब्जीयो की आपूर्ति की जा सकती है। परन्तु मात्रा में परिवर्तन नही होगा तथा भुगतान भी हरे–चारे के लिये स्वीकृत दर अनुसार ही किया जावेगा।

26. हरे चारे की आपूर्ति नही करने पर 10000/–रू प्रतिदिन शास्ति आरोपित की जावेगी।

27. सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12 बजे की अवधि में हरे चारे की आपूर्ति ली जावेगी।

28. सफल निविदा दाता को कार्यादेश जारी करने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर निविदा राशि का 10 प्रतिशत अर्थात 7 लाख रूपये की नगर निगम के नाम बैंक गारन्टी(जो 01 साल 03 माह तक वैध रहे) जो प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त जमा करानी होगी।

29. दर समस्त कर सहित दी जावे।यदि भविष्य में कोई अतिरिक्त कर लगता है तो संवेदक को स्वयं देना होगा जिसके लिए निगम कोई अतिरिक्त भुगतान नही देगा।

30. हरे–चारे की आपूर्ति के दौरान आपूर्तिकर्ता को बंधा गौशाला /कांजी हाउस किशोरपुरा में ही कुट्टी करवानी होगी पहले से कुट्टीशुदा हरे –चारे की आपूर्ति नही ली जावेगी।

मेरे द्वारा शर्तो/निर्देशों को भली–भांती
अध्ययन कर लिया है और मैं उक्त शर्तो
पर कार्य करने में सहमत हूँ।

उपायुक्त
नगर निगम,कोटा दक्षिण

हस्ताक्षर बिडदात

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण (राज0)

पता :– सी0ए0डी0 सर्किल, दशहरा ग्राउण्ड, कोटा

ई–मेल :– nnksouth@gmail.com website : www.Kotamc.org

क्रमांक :– ननिकोद/गौशाला/2024/12851 दिनांक :– 19/1/24

–:: वित्तीय बिड प्रपत्र ::–

1. कार्य का **नाम** : गौशाला बंधा धर्मपुरा एवं कांजी हाउस किशोरपुरा में हरा चारा आपूर्ति कार्य।
2. कार्य की **अवधि** : कार्यादेश तिथि से 1 वर्ष के लिये
3. अनुमानित व्यय : राशि रूपये 75 लाख मात्र
4. वित्तीय बिड खोलने की तिथि : तकनीकी बिड परीक्षण उपरान्त
5. फर्म/पार्टी का नाम व पता : ....

   टेलीफोन/मोबाईल नम्बर ....
6. बिड़दाता द्वारा अंकित दर : संलग्न सूची अनुसार BOQ में प्रस्तावित करें।

क्र.सं.	कार्य/वस्तु का नाम	मात्रा	दर प्रति क्वि. (समस्त दरो सहित)
1.	गौशाला बंधा धर्मपुरा एवं किशोरपुरा कायन हाउस में हरा चारा आपूर्ति कार्य।कुट्टी रहित		BOQ में प्रस्तावित करें।
2.	गौशाला बंधा धर्मपुरा एवं किशोरपुरा कायन हाउस में हरा चारा आपूर्ति कार्य।कुट्टी सहित		BOQ में प्रस्तावित करें।

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण (राज0)

पता :– सी0एडी0 सर्किल, दशहरा ग्राउण्ड, कोटा

ई–मेल :– nnksouth@gmail.com website : www.Kotamc.org

क्रमांक :– ननिकोद/गौशाला/2024/12851–861 दिनांक :– 19/11/24

ई–बिड सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, कोटा दक्षिण की गौशाला बंधा धर्मपुरा एव कायन हाउस किशोरपुरा में हरा–चारा आपूर्ति कार्य हेतु अनुमानित व्यय 75 लाख रूपये की ई–बिड आमन्त्रित की जाती है। निविदा में भाग लेने हेतु अमानत राशि जरिये डीडी/पे–ऑर्डर द्वारा प्राप्त की जावेगी। ई–बिड सूचना निगम वेबसाइट www.kotamc.org /www.sppp.rajasthan.gov.in / eproc.rajasthan.gov.in पर देखी तथा बिड प्रपत्र भी डाउनलोड किये जा सकते है और eproc.rajashthan.gov.in पर ऑनलाईन ई–बिड अपलोड/सबमिट की जा सकती है एवं कमरा नम्बर 416 में बिड शुल्क/अमानत राशि/एम.डी.,आर.आई.एस. एल शुल्क जमा किये जा सकते है। नियत समय तक प्राप्त ई–बिड की तकनीकी बिड को दिनांक .... को सायं 5:00 बजे ऑनलाईन खोला जावेगा।

NIB Code --

UBN No. - --

उपायुक्त गौशाला
नगर निगम, कोटा दक्षिण
दिनांक :– 19/11/24

क्रमांक :– ननिकोद/गौशाला/2022/12851–861
प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् महापौर महोदय, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
2. श्रीमान् उपमहापौर महोदय नगर निगम, कोटा दक्षिण।
3. श्रीमान् आयुक्त महोदय नगर निगम, कोटा दक्षिण।
4. श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय नगर निगम, कोटा दक्षिण।
5. मुख्य लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
6. प्रभारी गौशाला एव ईचार्ज बंधा गौशाला, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
7. पुस्तकालयाध्यक्ष, नगर निगम, कोटा दक्षिण को वास्ते नियमानुसार राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
8. प्रोग्रामर नगर निगम, कोटा दक्षिण वास्ते वेबसाईट पर अपलोड करने हैतु।
9. नोटिस बोर्ड राजीव गांधी भवन, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
10. गार्ड फाईल।

उपायुक्त गौशाला
नगर निगम, कोटा दक्षिण